संख्या -6/2024/384/तीस-4-2023

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 13 मार्च, 2024

विषयः उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 2023 के प्रख्यापन हेतु कन्सल्टेण्ट नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-09ज0प0/2024-01ज0प0/2016-23, दिनांक 02.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के कार्यों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से इण्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग को परिवहन विभाग में तकनीकी सेवाओं हेतु कन्सल्टेण्ट के रूप में नामित किये जाने का अनुरोध/प्रस्ताव किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली को तैयार करने तथा प्राधिकरण के गठन सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यों में सलाह/परामर्श दिये जाने हेतु इण्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (Indian Register of Shipping) द्वारा परिवहन विभाग में तकनीकी सेवाओं हेतु विभाग के साथ निःशुल्क कार्य करने के लिए नामित किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासकीय कार्यहित में इण्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (Indian Register of Shipping) को निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा नामित किया जाता हैः-

(1) कन्सल्टेन्ट एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय के मध्य निःशुल्क कार्य हेतु निश्चित समय के लिए Memorandum of Understanding (MoU) एवं Non Disclosure Agreement (NDA) किया जायेगा।

(2) विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु कन्सल्टेन्ट को किसी भी प्रकार का मानदेय/भत्ता के रूप में कोई भी धनराशि नहीं दी जायेगी।

(3) IRS (Indian Register of Shipping) द्वारा शासन/परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा आहूत बैठकों में यथा निर्धारित तिथि/समय/स्थान पर प्रतिभाग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) IRS (Indian Register of Shipping) द्वारा विभाग में कृत कार्यवाही की गोपनीयता सुनिश्चित/संरक्षित की जायेगी।

(5) IRS (Indian Register of Shipping) द्वारा सोशल मीडिया या किसी अन्य डिजिटल प्लेटफार्म पर विभाग के साथ कृत कार्यों का शासन/परिवहन आयुक्त कार्यालय की अनुमति के बिना प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा।

(6) शासन द्वारा यथावश्यकता शासकीय कार्य हित में IRS (Indian Register of Shipping) को बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) IRS (Indian Register of Shipping) को अपनी सेवा प्रदान किये जाने के प्रयोजनार्थ पृथक से किसी कार्यालय/कर्यालय कक्ष का आवंटन नहीं किया जायेगा। साथ हीIRS (Indian Register of Shipping) को अपनी सेवा प्रभावी ढंग से प्रदान किये जाने के प्रयोजनार्थ परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3- कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।